न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल चंबल संभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 पुनर्विलोकन

1— बच्चन सिंह आयु 55 वर्ष

2— हाकिम सिंह आयु 52 वर्ष

3— लालसिंह आयु 46 वर्ष

पुत्रगण स्व. श्री मुरारीलाल बघेल निवासीगण—ग्राम दैपरा, तहसील अटेर जिला भिण्ड (म0प्र0)

——— आवेदक

बनाम

1— रामदत्त आयु 39 वर्ष पुत्र छोटेलाल

2— छोटेलाल पुत्र श्री तुलसीराम आयु 72 वर्ष, जाति बघेल निवासीगण—ग्राम दैपरा, तहसील अटेर जिला भिण्ड (म0प्र0)

———अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22/12/2016 न्यायालय एम.के. सिंह, न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2493-एक/2016 निगरानी व उनवान छोटेलाल बनाम बच्चन सिंह में पारित आदेश के तहत् छोटेलाल की निगरानी स्वीकार की

महोदय,

.....आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदक निम्न प्रकार मुरारीलाल के मृतक होने की स्थिति में मुरारीलाल के वारिसान बच्चन सिंह, लालसिंह व हाकिम सिंह को न्यायगत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 914–दो/17 जिला– भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9.17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेश तिवारी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता मधुसूदन श्रीवास्तव एवं योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2493–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 914–दो/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2493–एक/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 22.12.2016 से किया जा चुका है।	

रिव्यु प्रकरण कमांक 914–दो/17 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य